

सं० सं० 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.8.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुरेन्द्र साह पिता-फैकु साह ग्राम-जगदीशपुर पो०-डंगरी थाना-कुदरा जिला-कैमुर केस नं०-सीएम/15339	कैंसर रोग	₹ 75,000/- (पचहतर हजार) स्वीकृत।
2	नीरू सिंह पति-राजीव कुमार ग्राम-यारपुर बी०बी०सी० थाना-गर्दनीबाग पो०-जी०पी०ओ० जिला-पटना केसफाइल नं०-सीके०/28537	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	साधु राय पिता-नथुनी राय ग्राम-जलालपुर पो०-उपहर थाना-भेल्दी जिला-छपरा केसफाइल नं०-सीएम/9504	शंभीर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,65,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,65,000/- ( एक लाख पैंसठ हजार ) रुपया का क्रास चेक सं० 909253 मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन  
ह0/-

ज्ञापांक

1026(14)

पटना, दिनांक

8/9/15

निदेशक प्रमुख

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/9/15  
निदेशक प्रमुख

8